

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग


का0आ00सं0-जी0/बी0डी0-02-20-02/2018...07.....पटना, दिनांक...612123

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखण्डित करते हुए निम्नांकित अराजपत्रित कर्मचारियों को विशेष परिस्थिति में उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित आवास नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है:-

क्र0	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवंटित आवास
1	2	3	4
1.	श्रीमती रिकू कुमारी, कम पत्र वितरक	बिहार विधान सभा, पटना।	66 / 400, 400 सेट, राजवंशीनगर।
2.	श्री संजय कुमार कामत, कम पत्र वितरक	बिहार विधान सभा सम्प्रति प्रतिनियुक्त मा0 मुख्यमंत्री आवास, बिहार, पटना।	228 / 400, 400 सेट, राजवंशीनगर।
3.	श्रीमती लुसिया टोप्पो, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान परिषद्, प्रतिनियुक्त सभापति कोषांग, बिहार विधान परिषद्, पटना।	सी / 18, 79, एम0ओ0 सेट, न्यू पुनाईचक।

- आवंटियों से अनुरोध है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार 30 दिनों के अन्दर ग्रहण करेंगे। साथ ही आवास का प्रभार लेते समय वे कार्यपालक अभियंता को शपथ पत्र के रूप में निम्नलिखित सूचना देंगे:-
  - मुझे या मेरे परिवार के सदस्य के नाम से कार्यालय के आठ किलोमीटर की परिधि में अपना कोई मकान नहीं है।
- निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-1292(भ), दिनांक 01.03.1997 के नियम-6 (ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।
- आवंटी आवास का प्रभार लेते समय परिचय-पत्र दिखलायेंगे तथा प्रमण्डलीय प्रशाखा में संधारित पंजी में अपना नाम, पदनाम, नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि एवं सेवा निवृत्ति की तिथि की प्रविष्टि करेंगे।
- आवंटनादेश में किसी तरह की त्रुटि का निराकरण सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आदेश द्वारा किया जायेगा।
- जर्जर आवासों के मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राथमिकता के आधार पर उसकी मरम्मत कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी तरह की दुर्घटना की पूरी जबाबदेही संबंधित केयरटेकर, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता की होगी।
- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।



(शिव रंजन)

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-जी0/बी0डी0-02-20-02/2018

११९ (अ) पटना, दिनांक:- 6/2/23

प्रतिलिपि:-सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-01 पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पेसू, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी भू-सम्पदा प्रशाखा/निदेशक(तकनीकी), एन.आई.सी. पटना/संबंधित कर्मचारी/कनीय अभियंता (ई0-निवास), भवन निर्माण विभाग एवं आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।